99

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

प्रकरण क्रमांक : 686/दो/2006 निगरानी – विरूद्ध आदेश दिनांक 9-1-2006 – पारित व्दारा – अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा – प्रकरण क्रमांक 371/2002-03 अपील

1– अनिलकुमार 2– अमोल कुमार पुत्रगण रामगरीव
3– श्रीमती सुषमा देवी पत्नि रामगरीव
4– रामगरीव पुत्र रामप्रसाद सभी निवासी ग्राम
पहरखा तहसील सिरमौर जिला रीवा ———आवेदकगण

विरूद्ध

1– अरूणकुमार 2– अनिल कुमार पुत्रगण रामसखा
3– जगन्नाथ 4– यज्ञाभान 5– रामदर्श 6– लक्ष्मण
सभी पुत्रगण रामवतार
7– रामनिहार पुत्र विशेषर प्रसाद 8– रामप्रताप पुत्र शिवमंगल
सभी ग्राम पहरखा तहसील सिरमौर जिला रीवा ———अनावेदकगण

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री मुकेश भार्गव)
(अनावेदकगण सूचना उपरांत अनुपस्थित– एकपक्षीय)

आ दे श

(आज दिनांक 29_05 -2018 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण क्रमांक 371/2002-03 अपील में पारित आदेश दिनांक 09-01-2006 के विरूद्ध म0प्र0 भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि नायव तहसीलदार उप तहसील गंगेव तहसील सिरमौर व्दारा प्रकरण क्रमांक 33 अ 27/1994-95 एंव प्रकरण क्रमांक 34 अ-27/1994-95 में पारित संयुक्त आदेश दिनांक 24-12-1994 से किये गये बटवारा आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी सिरमौर के समक्ष अपील क्रमांक 45 अ-27/1994-95 तथा अपील क्रमांक 33 अ-27/1994-95 प्रस्तुत की गई। अनुविभागीय अधिकारी ने दोनों प्रकरणों में पारित संयुक्त आदेश दिनांक 24-5-2003 से अपील निरस्त कर दीं। अनुविभागीय अधिकारी सिरमौर के संयुक्त आदेश दिनांक 24-5-2003 के विरूद्ध अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के समक्ष अपील क्रमांक 371/2002-03 प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने प्रकरण क्रमांक 371/2002-03 अपील में पारित आदेश दिनांक 09-01-2006 से अपील निरस्त करते हुये दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश यथावत् रखे। अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के इसी आदेश से दुखी होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

2/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर आवेदकगण के अभिभाषक के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

3/ आवेदक के अभिभाषक ने तर्को में बताया कि वादग्रस्त भूमियों के हिस्सा 1/4 के भूमिस्वामी रामनिहार ग्राम पहरखा थे जिन्होंने अपने हक व हिस्से की भूमियों का दानपत्र रामगरीव के तीन पुत्र अरूण, अनिल, अमोल के पक्ष में तथा रामसखा के पुत्र अनिल व अरूण के पक्ष में बराबर बराबर भूमियां 9-6-1983 को दानपत्र पंजीयन करा दी थीं । पॅजीकृत दानपत्र आज भी प्रभावशील है किन्तु तहसील न्यायालय में आवेदकगण को पक्षकार बनाये बिना केवल रामनिहार को पक्षकार बनाकर उनके हिस्से की 1/2 भूमि का नामांत्रण अनावेदक क्रमांक 1 व 2 ने कराया है जो गलत है इस पर अनुविभागीय अधिकारी एंव अपर आयुक्त ने ध्यान नहीं दिया है इसलिये निगरानी स्वीकार की जाकर तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किये जॉय एंव

आवेदकगण को बचाव का मौका दिया जाय।

4/ आवेदकगण के अभिभाषक के तर्को के परिप्रेक्ष्य में उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने आदेश दिनांक 09-01-2006 में निष्कर्ष अंकित किया है कि तहसील न्यायालय में बटवारा सूची प्रस्तुत की गई है जिसमें सभी खातेदानों के हस्ताक्षर हैं। आवेदकगण विवादित भूमियों के सहखातेदार नहीं है इसलिये उन्हें पक्षकार नहीं बनाया गया। जब आवेदकगण विवादित भूमि के सहखातेदार नहीं है एंव बटवारा की गई भूमियों में उनका स्वत्व एंव शासकीय अभिलेख में नाम अंकित नहीं है तब ऐसे पक्षकार को बटवारा कार्यवाही में भूमि नहीं देने में तहसील न्यायालय ने गलती नहीं की है जिसके कारण अनुविभागीय अधिकारी सिरमौर ने अपील क्रमांक 45 अ-27/1994-95 तथा अपील क्रमांक 33 अ-27/1994-95 में पारित संयुक्त आदेश दिनांक 24-5-2003 में एंव अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने प्रकरण क्रमांक 371/2002-03 अपील में पारित आदेश दिनांक 09-01-2006 में नायव तहसीलदार उप तहसील गंगेव तहसील सिरमौर के संयुक्त पारित आदेश दिनांक 24-12-1994 में हस्तक्षेप नहीं किया है। तीनों अधीनस्थ न्यायालयों व्दारा पारित आदेशों में निकाले गये निष्कर्ष समवर्ती है जिसके कारण विचाराधीन निगरानी में हस्तक्षेप की गुंजायश नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है एंव अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा व्दारा प्रकरण क्रमांक 371/2002-03 अपील में पारित आदेश दिनांक 09-01-2006 उचित होने से यथावत् रखा जाता है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर